Entry Tax Exemption Facility for industrial units (Notification)

प्रवेश कर मुक्ति सुविधा प्राप्त करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 04.04.2005

ए–3–68/2004/1/पांच (21) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपाबंध–एक में विनिर्दिष्ट किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने वाले व्यापारियों के वर्ग से भिन्न नीचे दी गई अनुसूची का कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है. अर्थातः–

अनुसूची

अनु–क्रमांक	व्यापारियों का वर्ग	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है।
1.	2.	3.	4.
1	रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने मध्यपदेश राज्य के किसी भी जिलें में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है।	1 अप्रैल, 2004 या उसके पश्चात् औद्योगिक इकाई में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु किये गये प्रथम क्रय की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि के लिये।	(1) व्यापारियों को प्रवेश कर से छूट तब उपलब्ध होगी, जब उनके द्वारा प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किये गये माल का उनकी औद्योगिक इकाई में माल के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग अथवा विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये। (2) ऊपर खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन जारी उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कच्चे माल अथवा आनुषंगिक माल अथवा पैकिंग सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट होना चाहिये। (3) इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा उसी स्थिति में उपलब्ध रहेगी जबकि व्यापारी उपाबंध – दो में दिये गये उपबंधों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण–पत्र धारण करता हो।
2	पंजीयत व्यापारी जिसने बीमार/बंद औद्योगिक इकाई जिसमें स्थायी पूंजी में नया निवेश पुनर्जीवित इकाई में स्थायी पूंजी में पूर्व निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हो और जिसके संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने उद्योग संवर्धन नीति 2004 के उपबंधों के अधीन ''विशेष पैकेज'' स्वीकृत किया गया हो।		

			(4) इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा केवल पात्रता प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

स्पष्टीकरण – अनुक्रमांक–2 के प्रयोजन के लिये, स्थायी पूँजी में पूर्व निवेश से अभिप्रेत है,–

(क) पुनर्वासित इकाई के संबंध में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) द्वारा इकाई को बीमार घोषित किये जाने की दिनांक को स्थायी आस्तियों का ह्रासित मूल्य।

(ख) क्रय कर अधिग्रहण की स्थिति में, इकाई का क्रय मूल्य या क्रय दिनांक को स्थायी आस्तियों का ह्रासित मूल्य, जो भी अधिक हो।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ''रजिस्ट्रीकृत व्यापारी,'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी।

3. इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध होगी, अर्थात् :–

(1) (क) व्यापारी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध – दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा रीति में स्थायी पात्रता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और उसके कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(ख) ऐसे प्रमाण–पत्र की एक प्रति व्यापारी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण–पत्र उसे जारी किया गया था।

(2) यदि व्यापारी को पात्रता प्रमाण–पत्र, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण–पत्र उस तारीख से प्रतिसंहृत कर दिया जावेगा, जिससे वह जारी किया गया था और तदुपरी इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जावेगी और वह सम्पूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ रद्दकरण की तारीख तक ले लिया गया है, व्यापारी से एकमुश्त वसूली योग्य होगी।

(3) (क) यदि कोई व्यापारी नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है, किन्तु उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई को बंद कर देता है या उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण–पत्र ऐसा प्रमाण–पत्र जारी किया जाना मंजूर करने वाली समिति द्वारा रद्द किया जाने के लिये उत्तरदायी होगा तथा ऐसा रद्दकरण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है।

(ख) उत्पादन में सारभूत कमी हुई तब समझी जावेगी, यदि उसी उत्पादन का उत्पादन पूर्ववर्ती 5 वर्ष के औसत उत्पादन के स्तर से या संस्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत से, उनमें से जो भी कम हो, नीचे गिर गया है।

(4) ऐसा कोई व्यापारी जो किसी औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता है और जो मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन किसी अन्य कारोबार के कार्यकलापों के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र पूर्व से ही धारण करता है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के होते हुए भी ऐसी औद्योगिक इकाई के लिये विनिर्माता के रूप में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा।

(5) व्यापारी छूट की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट की कालावधि के अवसान की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिये भी उसे चालू रखेगा।

(6) (क) उद्योग आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी,–

(1) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, या

(2) औद्योगिक इकाई में कोई सारभूत कमी नहीं करेगा, या

(3) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा, या

(4) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता की कालावधि के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन भी नहीं करेगा।

(ख) यदि स्वामित्व में परिवर्तन करना अनुज्ञात किया जाता है तो इस अधिसूचना के अधीन समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को संक्रात हो जायेंगे।

(7) व्यापारी मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासियों को रोजगार उपलब्ध करायेगा जो पात्रता की कालावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उसकी औद्योगिक इकाई में कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा ऐसे व्यापारी प्रत्येक वर्ष की अंतिम विवरणी के साथ उस प्रभाव का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसा शपथ–पत्र वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा नमूने के आधार पर सत्यापित किया जा सकेगा।

(8) व्यापारी मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के साथ एक करार निष्पादित करेगा।

(9) व्यापारी, प्रवेश कर अधिनियम के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित विवरणियां नियिमत रूप से देगा।

(10) प्रत्येक व्यापारी क्रय किये गये माल के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुए एक खाता संधारित करेगा।

(11) यदि कर की वह रकम जिसके संबंध में छूट का लाभ लिया जा रहा है, एक वर्ष में 5.00 लाख रूपये से अधिक हो जाती है तो पात्रता प्रमाण–पत्र तभी विधिमान्य होगा, जब व्यापारी किसी चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सुसंगत कालावधि में इकाई में उत्पादन संबंधी प्रमाण–पत्र समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे।

(12) (क) इस अधिसूचना के उपबंधों का तथा उसके अधीन शर्तों में से किसी शर्त का या प्रवेश कर अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित किसी अधिनियमिति में से किसी अधिनियमिति का भंग, इस अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो ऐसे रद्दकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा।

उपाबंध – एक

ऐसा व्यापारी जो नीचे विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों में से किसी को स्थापित करता है, प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं करेगा :–

1– आरा मिल
2– लोहा या स्टील या स्क्रेप को ईट (ब्लॉक) के रूप में दबाना
3– खाद्य तेल रिफाइन करना
4– शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण
5– चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण
6– किसी माल की पुनः पैकिंग
7– मूंगफली एवं चिरोंजी की छिलाई

8— तिल्ली की भूसी को अलग करना
9— सुपारी काटना
10— पान बीड़ा तैयार करना
11— जलाऊ लकड़ी की कटाई
12— पेड़ो से गोंद का निस्तारण या संग्रहण
13— तैंदूपत्ते का संग्रहण
14— लस्सी तैयार करना
15— विनियरिंग तथा प्लायवुड उद्योग
16— ईंट निर्माण (मशीनीकृत इकाईयों व फायर ब्रिक्स निर्माण को छोड़कर)
17— कोक और कोल ब्रिकेट का विनिर्माण (मशीनीकृत प्लांट को छोड़कर)
18— प्लायवुड तथा काष्ठ (टिम्बर) के बक्सों का विनिर्माण
19— लकड़ी के कोयले का विनिर्माण
20— खाने का नमक का शुद्धीकरण
21— बारदाना और टाट की मरम्मत
22— पैकिंग हेतु लकड़ी का विनिर्माण
23— सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण
24— सभी प्रकार के मसालों को, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची तथा अन्य मसाले सम्मिलित है, पीसना
25— खनिजों का चूर्ण बनाना
26— गुड़ विनिर्माण
27— सुतली एवं रस्सी विनिर्माण
28— सभी प्रकार के फर्श, दिवाल एवं छत पर लगने वाले टाईल्स का, जिसमें खपरैल और कवेलू सम्मिलित है, विनिर्माण
29— कागज की थैलियों एवं कागज के कोन का निर्माण
30— स्टोन क्रसिंग (गिट्टी तोड़ना)
31— लाख तथा चपड़ी विनिर्माण
32— सभी प्रकार के मुद्रण प्रक्रियाएं
33— बर्फ विनिर्माण
34— कलर लेबोरेटरीज
35— सोना या चांदी के बुलियन के आभूषण और अन्य वस्तुओं का विनिर्माण
36— आईसक्रीम का विनिर्माण
37— बर्तन विनिर्माण
38— लकड़ी तथा लोहे के फर्नीचर का विनिर्माण
39— खिड़की तथा दरवाजे एवं उनकी चौखटों का विनिर्माण
40— स्टोन कटिंग तथा पालीशिंग
41— (एक)— लोहा एवं इस्पात की गेल्वनाइजिंग जो किसी एकीकृत प्लांट या प्रक्रिया का अंग न हो और उसमें केवल गेल्वनाइजिंग प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 1.00 करोड़ से कम का विनिधान हो

(दो)— निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रिया जहां औद्योगिक इकाई प्लांट एवं मशीनरी में 1.00 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक पूंजीनिवेश से स्थापित की गई है, से भिन्न लोहा एवं इस्पात की प्रोसेसिंग :—

(क)— लोहा तथा इस्पात के स्क्रेप, पिग आयरन और/या स्टील सेमीज (इनगॉट्स, स्लैब्स, ब्लूम्स और बिलेट्स) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट लोहा एवं इस्पात की डिफेक्टिव्ज कटिंग, रिजेक्ट्स एवं छोर के टुकड़ों के

उपयोग से स्टील सेमीज (इनगार्ड्स, स्लेब्स, ब्लूम्स तथा बिलेट्स) वायर रॉड्स, मोल्ड्स, बॉटम प्लेट, डिस्क्स, फोर्जिंग, तथा स्टील कास्टिंग्स एवं/अथवा स्टील स्ट्रक्चरर्ल्स (एंगल, ज्वाईंट्स, चेनल) टी एवं जेड़ सेक्शन्स (स्टील बार्स, राउंड्स, रॉड्स, स्क्वेयर्स, प्लेट्स, आक्टोगन्स, हेक्सागन्स, प्लेन एवं रिब्ड् या ट्विस्टेड, सीधी लंबाई में क्वाईल के रूप में) शीट्स, हूप्स, स्ट्रिप्स एवं स्केल्प दोनों प्रकार की काली एवं गेल्वेनाईज्ड, हॉट एंड कोल्ड रोल्ड, प्लेन एवं नालीदार सभी प्रकार की लंबाई में, क्वाइल अथवा रोल्ड रूप में अथवा रिवेटेड रूप में, का विनिर्माण

(ख)– केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के खंड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोल्ड रोल्ड या हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह सीधी लंबाई में हो या क्वाईल के रूप में) तथा हूप्स एवं स्ट्रिप्स के उपयोग से स्टील ट्यूब, पाईप, शीट पाइलिंग सेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार के रोल्ड सेक्शन का विनिर्माण

(ग)– स्टील रॉड्स से स्टील वायर का खींचना,

(तीन)– प्लांट एवं मशीनरी में 10.00 करोड़ रूपये से अनधिक के पूंजीनिवेश से स्थापित औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी इकाई व्दारा हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह लंबाई में या क्वाईल रूप में) से कोल्ड रोल्ड शीट्स (चाहे वह लंबाई में या क्वाईल रूप में) का विनिर्माण,

<u>स्पष्टीकरणः–</u> भवन एवं अन्य अधोसंरचना प्लांट तथा मशीनरी में सम्मिलित नहीं होगी.

42– केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (दो–सी) में यथा विनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) पेट्रोलियम तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उपोत्पाद का शुद्धीकरण,

43– भारत सरकार के उपक्रमों व्दारा स्थापित इकाई एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाईयॉ

44– भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम

45– किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बन्द औद्योगिक इकाई (उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के समक्ष कालम (2) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाई को छोड़कर)

46– मध्य प्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का अंतरण, स्थानांतरण या उद्ध्वंसन करके या बन्द करके स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाई

47– कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग, प्लांट तथा मशीनरी में एक करोड़ रूपये से अधिक के पूंजी निवेश वाले मशीनीकृत उद्योगों को छोड़कर)

48– सभी प्रकार की तेल मिल जिसमें साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट सम्मिलित है.

49– उदजनित वनस्पति तेल विनिर्माण

50– सभी प्रकार के रंग एवं पेंट का विनिर्माण

51– बायो–उर्वरक को छोड़कर अन्य उर्वरक का विनिर्माण

52– कूलर्स का विनिर्माण

53– खनिज जल एवं पेकेज्ड पेय जल का विनिर्माण

54– सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटका का विनिर्माण

55– सभी प्रकार के साबुन तथा डिटरजेंट का विनिर्माण

56– सभी प्रकार के प्लास्टिक से बने बैग्स, कंटेनर्स एवं वोवेन बैग्स का विनिर्माण

57– सभी प्रकार के कागज, ग्रे बोर्ड एवं ड्यूप्लेक्स बोर्ड का किसी भी प्रकार के पल्प से विनिर्माण

58– फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण

59– सभी प्रकार के पारम्परिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे – बेसन मिल, दाल मिल, आटा मिल, मैदा मिल, चावल मिल, एक्सपेलर तेल मिल और पोहा एवं मुरमुरा उद्योग.

60– तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधरित उत्पाद का विनिर्माण

61– विस्तार या विविधिकरण या आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाई.

62— अन्य ऐसे उद्योग, जो कि राज्य सरकार व्दारा समय—समय पर अधिसूचित किए जायें.

उपाबंध—दो

1.(एक) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त की सुविधा की वांछा करता है, प्ररूप—क में उस जिले के जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, आवेदन करेगा तथा आवेदन सामान्यतः इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाएगा.

(दो) जहां ऐसा आवेदन उपर्युक्त तारीख के पश्चात किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण—पत्र मंजूर करने के संबंध में विनिश्चित लेने के लिये सक्षम समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन व्यापारी द्वारा पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलम्ब को माफ कर सकेगी और आवेदन पर गुणागुण के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी.

2. आवेदन प्राप्त करने वाला जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक आवेदन की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अभिस्वीकृति देगा.

3. आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन समिति या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति या शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को एक रिपोर्ट, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा.

4. उक्त आवेदन की एक प्रति व्यापारी द्वारा उस वृत्त के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी.

5. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनिधान के मामले में अपनी रिपोर्ट उपायुक्त, वाणिज्यिक कर और रूपये 3 करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान के मामले में आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेगा.

6. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्ति के लिए ऐसे व्यापारियों द्वारा किये गये आवेदन पर विचार करने के लिए तीन समितियां होंगी, अर्थात :—

(एक) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या उसका नाम निर्देशिती, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो.	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उसका नाम निर्देशिती.	सदस्य
(4)	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य—सचिव

(दो) राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(5)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	सदस्य
(6)	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य—सचिव

(तीन) शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :–

(1)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(2)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	उपाध्यक्ष
(3)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर	सदस्य
(4)	भारसाधक मंत्री, वित्त	सदस्य
(5)	मुख्य सचिव	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य–सचिव

7. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 3 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 2 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

8. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 4 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 2, 3 एवं 5 में से किन्ही दो सदस्यों की अनुपस्थिति में गणपूंर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

9. शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 3 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 3 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूंर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

10. जिला विनिधान संवर्धन समिति रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता, राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रूपये 3 करोड़ से अधिक, किन्तु रूपये 25 करोड़ तक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता तथा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रूपये 25 करोड़ से अधिक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी.

11. पात्रता प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जायेगा.

12. पात्रता प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 3 करोड़ से अधिक, किन्तु रूपये 25 करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयॉ स्थपित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में उन्हें पात्रता प्रमाण–पत्र उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा.

13. पात्रता प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 25 करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयॉ स्थपित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

14. (1) समिति सामान्यतः मास में एक बार अपनी बैठकें करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार–बार बुलाई जा सकेगी और समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय कर सकेगी कि पात्रता प्रमाण–पत्र मंजूर किया जाए या उसके लिये किये गये आवेदन को खारिज किया जाए या अतिरिक्त जानकारी मंगवाई जाए.

(2) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अथवा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अथवा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का निपटारा किया जाएगा.

15. शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

16. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय के विरूद्ध संदर्भित किये जाने पर किया किया गया विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

17. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अपने स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलों से संबंधित वास्तविक स्थिति उसके द्वारा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को विनिश्चय के पुनर्विलोकन की तारीख से 30 दिन के भीतर संसूचित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 04.04.2005

ए–3–68 / 2004 / 1 / पांच(22) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट देती है।

अनुसूची

माल का वर्ग	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट स्वीकर की गई है
(1)	(2)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसची दो में विनिर्दिष्ट माल	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल प्रवेश कर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन किसी व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिए प्रविष्ट किया जाए और ऐसे माल का उसके द्वारा उसी क्षेत्र या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के दूसरे ऐसे व्यापारी को संलग्न प्रारूप में इस आशय के घोषणा पत्र पर तदनुसार विक्रय किया जाए कि क्रय किया जा रहा माल क्रेता द्वारा उसकी उस औद्योगिक इकाई में जिसके संबंध में वह वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–68 / 04 / 1 / पांच (21) तारीख 04.04.05 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र रखता है, अन्य माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / –
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,

म.प्र. शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल